



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2018/कार्तिक 29, 1940

No. 439]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018/KARTIKA 29, 1940

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2018

सं. विधि 42 (3)/87.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (अ) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एतद्वारा (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गये कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल, एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है। दिनांक 8 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87, की क्रम संख्या 173 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
1.	2.	3.	4.
174.	केन्द्रीय प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टीसी-12V, विभूति खंड, गोमती नगर,	1. डॉ. अशोक कुमार वर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी 2. श्री एच.सी. जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	भौतिक, सामान्य, रसायन एवं गैर धात्विक, धात्विक, कार्बनिक, सूक्ष्म जैवकीय, विष विज्ञानकीय और परिवेशी

	लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश	3. डा. नीलिमा दीपक, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी 4. सुश्री प्रीति भास्कर, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर तथा सूक्ष्म मौसम विज्ञानकीय पैरामीटरर्स
175.	एम.आई.टी. विश्लेषणात्मक अनुसंधान एवं अध्ययन केन्द्र, महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान एमआईटी-सीएआरएस एमटीआई कैंपस, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	1. डॉ. मनोहर सोनानिस, विश्लेषक 2. श्री डी.टी. बामडे, विश्लेषक	भौतिक, सामान्य, एवं गैर धात्विक, धात्विक, कार्बनिक, सूक्ष्मजैवकीय, विष विज्ञानकीय, परिसंकटमय अपशिष्ट, मृदा, स्लज/तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटरर्स, स्रोत उत्सर्जन, शोर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानकीय पैरामीटरर्स

इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशाला तथा सरकारी विश्लेषक अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे।

(ख) शुद्धिपत्र (I)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (अ) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खंड 1 के साथ पठित धारा 12 की उपधारा 1 के खंड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली- 110032 ने (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है।

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
(1)	(2)	(3)	(4)
156	केंद्रीय प्रयोगशाला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032	1. श्री जे.एस. कम्योत्रा, वैज्ञानिक "एफ" 2. डा. सी.एस.शर्मा, वैज्ञा. "ई" 3. डा. डी. साहा, वैज्ञानिक "ई" 4. डा. एस.के.त्यागी, वैज्ञा. "ई" 5. डा. (श्रीमती) पी. अकोलकर, वैज्ञानिक "ई"	भौतिक, सामान्य, एवं गैर धात्विक, धात्विक, कार्बनिक, सूक्ष्मजैवकीय, विष विज्ञानकीय, परिसंकटमय अपशिष्ट, मृदा, स्लज/तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण

		6. श्री बी.के. जखमोला, वैज्ञानिक "डी"	हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर्स, स्रोत उत्सर्जन, शोर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानकीय पैरामीटरर्स
		7. श्री एन.सी. दुर्गापाल, वैज्ञानिक "डी"	
		8. डा. पी.के.बहेरा, वैज्ञानिक "डी"	

यह अधिसूचना दिनांक 11 दिसंबर, 2015, भारत के राजपत्र आसाधारण भाग-3 संख्या 94, दिनांक 11 दिसंबर 2015 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचित प्रयोगशालाओं की मान्यता की वैधता अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 10 दिसंबर, 2020 तक थी।

अब उपर्युक्त अधिसूचना में, श्री जे.एस. कम्योत्रा, डा. सी.एस.शर्मा, डा. डी.साहा, डा. एस.के. त्यागी, डा. (श्रीमती) पी. अकोलकर की सेवानिवृत्ति (उपरोक्त कॉलम 3 के क्रमशः क्र.सं.1 से 5) और डा. पी.के.बेहरा (उपरोक्त कॉलम 3 के क्र.सं. 8) के स्थानांतरण के कारण, इन प्रविष्टियों को हटा दिया गया है और कॉलम (4) में उल्लिखित पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विश्लेषण के लिए भेजे गए निर्दिष्ट वायु, जल या अन्य पदार्थों के नमूने के विश्लेषण के उद्देश्य से नीचे दी गई तालिका के स्तंभ 3 के अनुरूप (कॉलम 3 के क्रमशः क्र.सं.3 से 10) प्रतिस्थापित, अतिरिक्त सरकारी विश्लेषकों के नामों को राजपत्र अधिसूचना सं.विधि 42(3)/87 दिनांक 11.12.2015 के स्तंभ 4 में निविष्ट किया गया है।

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
(1)	(2)	(3)	(4)
156	केंद्रीय प्रयोगशाला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032	1. श्री बी. के. जखमोला, वैज्ञानिक "ई" 2. श्री एन.सी. दुर्गापाल, वैज्ञानिक "ई" 3. श्री बी.के. शुक्ला, वैज्ञानिक "डी" 4. डा. आर.सी. श्रीवास्तव, वैज्ञानिक "डी" 5. श्री कृष्णामूर्ति, वैज्ञानिक "डी" 6. श्रीमती नमिता मिश्रा, वैज्ञानिक "सी" 7. श्री संजय कुमार, वैज्ञानिक "सी"	भौतिक, सामान्य, एवं गैर धात्विक, धात्विक, कार्बनिक, सूक्ष्मजैवकीय, विष विज्ञानकीय, परिसंकटमय अपशिष्ट, मृदा, स्लज/तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर्स, स्रोत उत्सर्जन, शोर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानकीय पैरामीटरर्स

		8. श्री बी.कुमार, वैज्ञा. "डी" 9. डा. संजीव अग्रवाल, वैज्ञानिक "ई" 10. डा. दिलीप कुमार मार्कण्डेय, वैज्ञानिक "डी"	
--	--	---	--

दिनांक 11 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं.विधि 42(3)/87 के अन्य विषय अपरिवर्तित रहेंगे और 10 दिसंबर, 2020 तक वैध रहेंगे।

(ख) शुद्धिपत्र (II)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (अ) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खंड 1 के साथ पठित धारा 12 की उपधारा 1 के खंड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली- 110032 ने (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है।

क्रमांक	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषकों के नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
(1)	(2)	(3)	(4)
162	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बांगईगांव, पोस्ट ऑफिस ढलईगांव -783385, आसाम	1. श्री आर. एन. देव शर्मा, डी.एम.क्यू.सी. 2. श्री ए. सी. शर्मा, एस.क्यू.सी.ओ.	भौतिक, सामान्य, रसायन एवं गैर धात्विक, धात्विक, कार्बनिक, सूक्ष्मजैवकीय, विष विज्ञानकीय और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर, स्रोत उत्सर्जन, शोर तथा सूक्ष्म मौसम विज्ञानकीय पैरामीटर्स

यह अधिसूचना दिनांक 7.3.2016, भारत के राजपत्र आसाधारण भाग-3 संख्या 272, दिनांक 7.3.2016 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचित प्रयोगशालाओं की मान्यता की वैधता अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 6.3.2021 तक थी।

अब उपर्युक्त अधिसूचना में, श्री आर.एन. देव शर्मा (उपरोक्त कॉलम 3 के क्र.सं.1) की सेवानिवृत्ति और श्री ए.सी.शर्मा (उपरोक्त कॉलम 3 के क्र.सं. 2) के स्थानांतरण के कारण, इन प्रविष्टियों को हटा दिया गया है और

उक्त तालिका के स्तंभ 3 के अनुरूप प्रतिस्थापित सरकारी विश्लेषकों के नामों को राजपत्र अधिसूचना सं.विधि /42(3)/87 दिनांक 07.03.2016 के स्तंभ 4 में निविष्ट किया गया है।

क्रमांक	प्रयोगशाला का नाम	हटाए गए विश्लेषकों का नाम	निविष्ट किए गए सरकारी विश्लेषकों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
162	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बंगाईगांव, पोस्ट ऑफिस डलिगांव -783385, आसाम	1. श्री आर. एन. देव शर्मा, डी.एम.क्यू.सी. 2. श्री ए. सी. शर्मा, एस.क्यू.सी.ओ.	1. श्री पी.सी. शर्मा, ए.एम. (क्यू.सी.) 2. डॉ. डी.के. यादव क्यू.सी.ओ.

दिनांक 07.03.2016 की अधिसूचना सं.विधि 42(3)/87 के अन्य विषय अपरिवर्तित रहेंगे।

अरुण कुमार मेहता, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा. /343/18]

पाद टिप्पणी :

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ.728(अ) दिनांक 21-7-1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात् उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किए गए: (1) का.आ.838 (ई), दिनांक 23-9-1987, (2) का.आ. 989 (अ) , दिनांक 17-11-87, (3) का.आ.489(अ) , दिनांक 17-5-88, (4) का.आ.156 (अ) , दिनांक 24-2-89, (5) का.आ.846(अ) , दिनांक 24-10-89, (6) का.आ. 375(अ) , दिनांक 26-4-1990, (7) का.आ. 803(अ) , दिनांक 23-9-92, (8) का.आ. 97(अ) , दिनांक 5-12-1994, (9) का.आ.419(अ) , दिनांक 31-3-1996, (10) का.आ. 889(अ) , दिनांक 31-8-1996, (11) का.आ. 452 (अ) , दिनांक 31-5-97, (12) का.आ. 631 (अ) , दिनांक 31-5-1998, (13) का.आ. 336 (अ) , दिनांक 1-1-1999,(14) का.आ. 44 (अ) , दिनांक 15-1-2001, (15) का.आ. 490 (अ) , दिनांक 1-6-2001, (16) का.आ. 532 (अ) , दिनांक 1-1-2002, (17) का.आ. 1168 (अ) , दिनांक 1-6-2001, (18) का.आ. 888(अ) , दिनांक 1-6-2003, (19) का.आ. विधि/42(3)/87, दिनांक 1-6-2004, (20) विधि/42(3)/87, दिनांक 1-3-2005, (21) विधि/42(3)/87, दिनांक 1-9-2005, (22) विधि/42(3)/87, दिनांक 15-12-2005, (23) विधि/42(3)/87, दिनांक 1-5-2006, (24) विधि/42(3)/87, दिनांक 1-9-2006, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-1-2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 15-4-2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-8-2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-10-2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-2-2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-4-2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-10-2009, विधि/42(3)/87, दिनांक 15-1-2010, विधि/42(3)/87, दिनांक 20-9-2010, विधि/42(3)/87, दिनांक 27-1-2011, विधि /42(3)/87, दिनांक 31-1-2012,

14-8-2014 और 10 मार्च, 2015 विधि/42(3)/87, दिनांक 11-12-2015, विधि/42(3)/87, दिनांक 07-03-2016, विधि/42(3)/87, दिनांक 03-08-2016, विधि/42(3)/87, दिनांक 06.03.2017, विधि /42(3)/87, दिनांक 19.06.2017, विधि /42(3)/87, दिनांक 04.12.2017 और विधि /42(3)/87, दिनांक 08.02.2018

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2018

No. Legal 42(3)/87.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and 13 read with clause 1 of the Notification No.145 E, dated 21st February, 1991, issued under 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 hereby recognize, (a) the Laboratories specified in column (2) of the Table below as 'Environmental Laboratories' to conduct the functions entrusted to the Environmental laboratories under the said Act, and the rules made thereunder and (b) specified persons in column (3) of the table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of Air, Water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4). After Sr. No.173 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 08th February, 2018, and the entries relating thereto, the following serial no. and entries shall be added namely:

(A)

Sl.No.	Name of Laboratory	Name of the Govt.Analysts	Recognized for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
174	Central Laboratory,U.P.Pollution Control Board,TC-12V, Vibhuti khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, UP	1. Dr. Ashok KumarVerma, Scientific Officer 2. Mr.H.C.Joshi, Assistant Scientific Officer 3. Dr.Neelima Deepak, Assistant Scientific Officer 4. Ms. Preeti Bhashkar,Assistant Scientific Officer	Physical, general and non-metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micro – meteorological parameters.
175	MIT Centre for Analytical Research & Studies. Maharashtra institute of Technology MIT- CARS MIT campus, Aurangabad, Maharashtra	1. Dr.Manohar Sonanis, Analyst 2. Mr.D.T.Bomare, Analyst	Physical, general and non-metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, Hazardous waste, soil, sludge/sediment and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micro – meteorological parameters.

The environmental Laboratories and the Government Analysts so mentioned shall remain valid for a period of five years from the date of issue of Notification.

(B) Corrigendum (I)

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and 13 read with clause 1 of the Notification No.145 E, dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 had recognized, (a) the Laboratory specified in column (2) of the Table below as 'Environmental Laboratory' to carry out the functions entrusted to the environmental laboratories under the said Act, and the rules made thereunder and (b) specified persons in column (3) of the Table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of air, water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4):

Sl.No.	Name of Laboratory	Name of the Govt.Analysts	Recognized for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
156	Central Laboratory, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shri J.S.kamyotra, Sc. 'F' 2. Dr.C.S.Sharma. Sc. 'E' 3. Dr. D.Saha, Sc. 'E' 4. Dr.S.K.Tyagi, Sc 'E' 5. Dr (Mrs.) P.Akolkar, Sc. 'E' 6. Shri.B.K.Jakhmola, Sc. 'D' 7. Shri N.C.Durgapal, Sc 'D' 8. Dr.P.K.Behera, Sc. 'D' 	Physical, general and non-metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, biological, Hazardous waste, soil, sludge/sediment and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micro – meteorological parameters.

This Notification dated 11th December 2015 was published in the Gazette of India Extraordinary Part III No.94 dated 11th December 2015 and the validity of recognition of Laboratories Notified was for 5years from the date of Notification i.e. upto 10th December 2020.

Now in the aforesaid Notification due to superannuation of Shri J.S.Kamyotra, Dr.C.S.Sharma, Dr D.Saha, Dr.S.K.Tyagi, Dr (Mrs) P.Akolkar (Sr No.1 to 5 respectively of column 3 above) & transfer of Dr P.K.Behera (Sr. No. 8 of column 3 above) these entries have been deleted. The name of Shri B.K.Jakhmola Scientist 'E' and Shri N.C.Durgapal Scientist 'E' in the above table will remain and the same is rearranged at Sr.No.1 and 2 in the table below. The name of substituted, additional Govt. Analysts as in column 3 of table below at Sr.No.3 to 10 have been inserted at column 3 of Gazette Notification No. Legal 42 (3)/ 87 dated 11.12.2015 for the purpose of analysis of samples of air, water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4):

Sl.No.	Name of Laboratory	Name of the Govt.Analysts	Recognized for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
156	Central Laboratory, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shri B.K.Jakhmola, Sc. 'E' 2. Shri N.C.Durgapal, Sc. 'E' 3. Shri V.K.Shukla, Sc. 'D' 4. Dr.R.C.Srivastava. Sc. 'D' 5. Shri Krishna Murti, Sc 'D' 6. Mrs. Namita Mishra, Sc 'C' 7. Sh.Sanjay Kumar, Sc. 'D' 8. Sh.B.Kumar, Sc. 'D' 9. Dr. Sanjeev Agrawal, Sc 'E' 10. Dr.Dilip Kumar Markandey, Sc. 'D' 	Physical, general and non-metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, biological, Hazardous waste, soil, sludge/sediment and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micro – meteorological parameters.

The other contents of the Notification No Legal 42 (3)/87 dated 11th December 2015 shall remain unchanged and shall remain valid upto 10th December, 2020.

(B) Corrigendum (II)

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and 13 read with clause 1 of the Notification No.145 E, dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 had recognized, (a) the Laboratory specified in column (2) of the Table below as 'Environmental Laboratory' to carry out the functions entrusted to the environmental laboratory under the said Act, and the rules made thereunder and (b) specified persons in column (3) of the Table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of air, water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4):

Sl.No.	Name of Laboratory	Name of the Govt.Analysts	Recognised for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
162	Quality Control Laboratory Indian Oil Corporation Ltd. Bangaigaon, P.O. Dhaligaon-783385, Assam	1. Mr. R.N.Deva Sarma DMQC 2. Mr. A.C.Sarmah SQCO	Physical, general and non-metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micro – meteorological parameters.

This Notification, dated 7.3.2016 was published in the Gazette of India Extraordinary Part –III No.272, dated 7.3.2016 and the validity of recognition of laboratory notified is for 5 years from date of Notification i.e. upto 6.3.2021.

Now in the aforesaid Notification, due to superannuation of Mr. R.N.Deva Sarma (Sr No.1 of column 3 above) and transfer of Mr. A.C.Sarmah (Sr No.02 of Column 3 above) these entries have been deleted and the names of substitutes Govt Analysts as in column 4 of Table below have been inserted at column 3 of Gazette Notification No. Legal 42(3)/87 dated 07.03.2016.

Sl.No.	Name of Laboratory	Name of the Govt.Analysts deleted	Name of Substituted Govt. Analysts inserted
(1)	(2)	(3)	(4)
162	Quality Control Laboratory Indian Oil Corporation Ltd. Bangaigaon, P.O. Dhaligaon-783385, Assam	1. Mr. R.N.Deva Sarma DMQC 2. Mr. A.C.Sarmah SQCO	1. Mr. P.C. Sarma AM(QC) 2. Dr. D.K.Yadav QCO

The other contents of the Notification No. Legal 42(3)/87 dated 07.03.2016 shall remain unchanged.

ARUN KUMAR MEHTA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./343/18]

Foot Note:

The principal notification was published in the Gazette of India vide No.S.O.728€ dated 21-7-1987 and subsequently amended vide- (1) Nos. S.O.838 E, dated 23-9-1987, (2) S.O. 989 (E), dated 17-11-87, (3) S.O. 489 €, dated 17-5-88, (4) S.O. 156 (E), dated 24-2-89, (5) S.O. 846 (E), dated 24-10-89, (6) S.O. 375 (E), dated 26-4-1990, (7) S.O. 803 (E), dated 23-9-92, (8) S.O.97 (E), dated 5-12-1994, (9) S.O. 419 €, dated 31-3-1996, (10) S.O. 889 (E), dated 31-8-1996, (11) S.O. 452 (E), dated 31-5-97, (12) S.O. 631 (E), dated 31-5-1998, (13) S.O. 336 (E), dated 1-1-1999,(14) S.O. 44 (E), dated 15-1-2001, (15) S.O.490 (E), dated 1-6-2001, (16) S.O. 532 (E), dated 1-1-2002, (17) S.O. 1168 (E), dated }

1-6-2001, (18) S.O.888(E), dated 1-6-2003, (19) S.O. Legal/42(3)/87, dated 1-6-2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1-3-2005, (21) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2005, (22) Legal/42(3)/87, dated 15-12-2005, (23) Legal/42(3)/87, dated 1-5-2006, (24) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-1-2007, Legal/42(3)/87, dated 15-4-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-8-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-2-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-4-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2009, Legal/42(3)/87, dated 15-1-2010, Legal/42(3)/87, dated 20-9-2010, Legal/42(3)/87, dated 27-1-2011, Legal/42(3)/87, dated 31-1-2012, 14-8-2014 and 10th march, 2015 Legal/42(3)/87, dated 11-12-2015, Legal/42(3)/87, dated 07-03-2016, Legal/42(3)/87, dated 03-08-2016, Legal/42(3)/87, dated 06.03.2017, Legal/42(3)/87, dated 19.06.2017, Legal/42(3)/87, dated 04.12.2017 and Legal/42(3)/87, dated 08.02.2018